

## असाधार्गा EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 396] नई दिल्ली, मृक्षवार, सितम्बर 23, 1994/आरियन 1, 1916 No. 396] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 23, 1994/ASVINA 1, 1916

जल-भतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसृचना

नर्ह दिल्ली, 23 मितम्बर, 1994

मा.का.ति. 719 (अ).— भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908(1908 का 15) की धारा 35 की उपधारा (1) हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनाक 21-8-71 की अधिसूचना स. मा. का. ति. 1497 के अधिक्रमण में केन्द्र सरकार किए गए अथवा किए जाने से छूट गए कार्यों के सित्राध यह निदेश देती हैं कि कांडला पत्तन के सूणा में प्रवेश करने

\_\_\_\_\_\_ वा<mark>ले अथवा बहां से प्रस्थान करने वाले</mark> जलयानों **से निम्मलिखि**त पायलटेज शुल्क वसूल किया जाएगा अर्थात :

	₹.	अमे <b>रिकी डा</b> लर
(क) तटीय जलयान	2000/- प्रति जन्म	
(ख) विदेशी जलसःन		190. <b>4</b> 0 डालर प्रति जलयान
	-	

[फा. सं. पी अतर-14012/19/94-पी जी] सी. एस. खैरवाल, संयुक्त सचित्र

## MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

## NOTIFICATION

New Delhi, 23rd September, 1994

G. S. R. 719(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 35 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1903) and in supersession of the notification GSR No. 1497, dated 21-8-71, except as respects things done or omitted to be done, the Central Government hereby directs that the following Pilotage fees shall be chargeable from vessels entering into or sailing from Tuna within the Port of Kandla, namely:

Particulars		Pilotage Fecs
		Rs. US \$
(a)	Coastal vessels	Rs. 2000 per vessel
(b) Foreign vessels		- s 190.40 per vessel
		[F. No. PR-14012/19/94-PG] C.S. KHAIRWAL, Joint Scey.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994